राज्पाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

क्रमांकः : F.1(42)RB/2018/ 77 दिनांकः 16 06.2020

कार्यवाही विवरण

कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की बैठक सचिव, राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में 09.06.2020 को माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा आयोजित की गई जिसमें समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रकों ने विडियों कांफ्रेंसिंग द्वारा बैठक में भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में सचिव महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों में राजभवन द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं समय–समय पर चाही गई सूचना अप्राप्त रहने के संदर्भ में गहरी अप्रसन्नता व्यक्त करी एवं सभी कुलसचिव महोदयों को राजभवन द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना, निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश प्रदान किये। बैठक के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों से पूर्व में दिनांक 11.12.2019 को हुई कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक की बैठक की अनुपालना रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालयों द्वारा अप्राप्त सूचनाऐं प्रदान करने के निर्देश दिये गये। इस संदर्भ में स्वंय सचिव राज्यपाल महोदय द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय को विभिन्न अप्राप्त सूचनाओं के बारे में अवगत कराया गया।

विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा नियंत्रक के पद पर संविदा पर सेवा निवृत अधिकारियों को लगाने, सहायक आचार्य के स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने एवं लम्बे समय से अतिरिक्त प्रभार के अन्तर्गत कार्य कर रहे अस्थायी परीक्षा नियंत्रकों के संदर्भ में विश्वविद्यालयों को नियमों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

ac

बैठक में चर्चा के दौरान सचिव, राज्यपाल महोदय एवं प्रमुख विशेषाधिकारी महोदय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये–

1. सभी विश्वविद्यालय उपसचिव स्तर के अधिकारी को राजभवन द्वारा चाही गई सूचना प्रदान करने हेतु नोडल ऑफिसर नियुक्त कर उसकी सूचना मय नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी के साथ दो दिवस में राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित करे।
2. विश्वविद्यालय, राजभवन परिसर में स्थापित किये जाने वाले स्मार्ट पार्क का प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजे। इस क्रम में दो से अधिक विश्वविद्यालय एक साथ भी किसी प्रस्ताव पर सहमत होकर वह प्रस्ताव भिजवा सकते है।
3. विश्वविद्यालय जिनमें बहुत अधिक कोर्ट केस लंबित है जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जय नारायण विश्वविद्यालय इत्यादि शीघ्र इन प्रकरणों का निस्तारण करे। "प्रिलिटिगेशन कमेटी" द्वारा प्राप्त प्रकरणों की संख्या को कम कराने का प्रयास करे एवं जिन विश्वविद्यालयों द्वारा लंबित कोर्ट केस की स्थिति नहीं प्रेषित की है वह तुरन्त यह सूचना राजभवन को प्रेषित करे।
4. सभी विश्वविद्यालयो को ऑनलाईन सर्विसेस का सिक्यूरिटी ऑडिट कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों को यह सुझाव दिया गया कि वे सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्यरत साइबर सिक्यूरिटी एक्सपर्टस् द्वारा सिक्यूरिटी ऑडिट करा सकते है अन्यथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या किसी पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त सिक्यूरिटी ऑडिट एजेंसी से ही यह कार्य कराये।
5. कुलपति, कुलसचिव अपनी उपस्थिति ऑनलाईन राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित करें एवं विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का वेतन अवकाश स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही बनाया जाए।

6. सभी विश्वविद्यालय अपने संघटक महाविद्यालयों की संख्या एवं नामांकित छात्रों की सूचना आवश्यक रूप से अपनी बेवसाईट पर प्रदर्शित करे एवं कोविड–19 के दौरान विशेष तौर पर बेवसाईट को लगातार अपडेट कर उसके द्वारा अधिक से अधिक सूचनाऐं विद्यार्थियों को प्रवर्शित करे।
7. विश्वविद्यालयों को हाल में प्रदान की गई शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव रोस्टर की स्थिति के साथ राज्यपाल, सचिवालय को प्रेषित करे एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग से तुरंत स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करे।
8. अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व मे प्रेषित प्रस्ताव राज्यपाल, सचिवालय के स्तर पर लंबित हो तो वह उसे दुबारा सचिवालय को प्रेषित करे।
9. किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले बड़े आयोजन की जानकारी आवश्यक रूप से राज्यपाल सचिवालय को दिया जाना सुनिश्चित करे।
10. सचिव महोदय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया कि वे अपने खाते राष्ट्रीयकृत बैंक, आई.सी.आई.सी.आई एवं एच.डी.एफ.सी बैकों में ही रखे एवं अगर कोई भी राशि अन्य किसी निजी बैंक में जमा है तो उसे तुरन्त प्रभाव से हस्तांतरित करे।

विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों/वित्त नियंत्रकों को चर्चा के दौरान उनके विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये गये:–

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा फीस घोटाले के संदर्भ में बनाई गई कमेटी एवं तथ्यों की रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय को भेजी जाए।
2. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय सिक्योरिटी ऑडिट का कार्य पैनल बद्ध मान्यता प्राप्त एजेंसी/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से प्राथमिकता पर कराये।
3. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय उत्तरपुस्तिकाओं के संदर्भ में की गई शिकायत की तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित करे एवं स्मार्ट पार्क का प्रस्ताव भेजे।

4. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय EMMRC के अन्तर्गत प्राप्त राशि रूपये 2.66 करोड. को वापस लौटाये जाने के क्रम में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर सूचना राजभवन सचिवालय को भिजवाये एवं विश्वविद्यालय अपने अधिवक्ता पैनल की समीक्षा कर पैनल की सूचना राज्यपाल सचिवालय को भेजे।
5. मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अपने नये भवन में कार्य प्रारम्भ करे।
6. राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तुरन्त प्रभाव से राष्ट्रीयकृत बैंक में अपनी राशि अन्य बैंकों से हस्तांतरित करे एवं ब्याज सहित पी.डी. खाते को प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमति लेकर क्रियान्वित करे।
7. बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय TEQIP के अन्तर्गत प्राप्त फंड एवं उसके उपयोग संबंधी रिपोर्ट प्रेषित करते हुए RUSA के अन्तर्गत अनुदान लाने का प्रयास करे।
8. बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अपने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के संबंध में सूचना राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित करे।
9. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन के संदर्भ में राज्यपाल सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। इस क्रम सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक काउंसिल से अनुमोदन पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रम लागू किये जाये जिससे विश्वविद्यालय का राजस्व बढ़ सके।
10. संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों पर प्रतिनियुक्ति करवाये जाने का आग्रह किया गया। सचिव महोदय द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देशित किया।
11. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा पेंशन व ग्रेचुटी नहीं दे पाने का विषय सचिव महोदय के ध्यान में लाया गया। इस संदर्भ में सचिव महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
12. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर को "बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट" का गठन करने हेतु निर्देशित किया गया।

13. सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में आग्रह किया गया।

निदेशक जनजातिय कल्याण एवं संयुक्त सचिव राज्यपाल द्वारा स्मार्ट विलेज के संदर्भ में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय अजमेर, भर्तहरि विश्वविद्यालय अलवर, संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर एवं सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा द्वितीय चरण की मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया। महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के द्वारा कार्ययोजना भी प्रस्तुत की जानी है। इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों यथा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, गोविन्द गुरू जनजातिय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। निदेशक द्वारा महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की एवं विश्वविद्यालय के कार्यों को अनुंकरणीय बताया।

बैठक के अंत में सचिव महोदय द्वारा सभी कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रकों को दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Sd/-
विशेषाधिकारी – I
उच्च शिक्षा

क्रमांक: F.1(42)RB/2018/ 7-8 दिनांक 16.06.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण एवं संयुक्त सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
3. समस्त कुलपतिगण, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. समस्त कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी –II ,उच्च शिक्षा, राजभवन, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राज0, जयपुर।

विशेषाधिकारी–I